न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 29/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

बनाम

1. हीरा पत्नि भगवान सहाय पुत्र जोधा जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा।

<u>रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए</u>

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी बावजदू तामील अनुपस्थित।

<u>:–निर्णयः–</u> दिनांकः 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई । बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुई। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि एकीकरण संवत 2018 में ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। भू–प्रबन्ध 2041–60 में उक्त खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी में से खसरा नम्बर 5032 रकबा 0.45 है. खसरा नम्बर 5039 रकबा 0.10 है. एवं 5040 रकबा 0.12 है. बने। नामान्तरकरण संख्या 453 दिनांक 17.06.2002 के द्वारा खसरा नम्बर 5032/1 रकबा 0.35 है., नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 17.06.2002 के द्वारा खसरा नम्बर 5039 रकबा 0.10 है. व 5040 रकबा 0.12 है. भूमि अप्रार्थी हीरा पत्नि भगवान सहाय पुत्र जोधा जाति मीना निवासी लवाण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई है। इस प्रकार अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा सम्वत 2018 में गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। भू–प्रबन्ध 2041–60 में उक्त खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी में से खसरा नम्बर 5032 रकबा 0.45 है. खसरा नम्बर 5039 रकबा 0.10 है. एवं 5040 रकबा 0.12 है. बने। नामान्तरकरण संख्या 453 दिनांक 17.06.2002 के द्वारा खसरा नम्बर 5032/1 रकबा 0.35 है., नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 17.06.2002 के द्वारा खसरा नम्बर 5039 रकबा 0.10 है. व 5040 रकबा 0.12 है. भूमि अप्रार्थी हीरा पत्नि भगवान सहाय पुत्र जोधा जाति मीना निवासी लवाण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested